Daily Current Affairs

Date : 18 December, 2025

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'पीएम श्री योजना' के तहत् चयनित राजस्थान के विद्यालय
2.	समुद्री जल से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित : IIT जोधपुर
3.	कुरजां महोत्सव – 2025
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को 'ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार' 2. राजस्थान विश्वविद्यालय को 'प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड 2025' 3. नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान तीसरे स्थान पर 4. राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान 5. मनीष कुमार बढ़गोती 6. राष्ट्रीय जैवचिकित्सा शोध प्रतियोगिता (NBRCOM 2025) 7. निपुण मेला – 2025
5.	एस्पायर (ASPIRE) योजना
6.	व्यापार घाटा
7.	सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025
8.	विकसित भारत- जी राम जी विधेयक
9.	सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025
10.	गोल्डर समिति

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

राजस्थान परिदृश्य

'पीएम श्री योजना' के तहत् चयनित राजस्थान के विद्यालय

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान के विद्यालयों में 'पीएम श्री योजना' का 2 चरणों में संचालन किया जा रहा है।

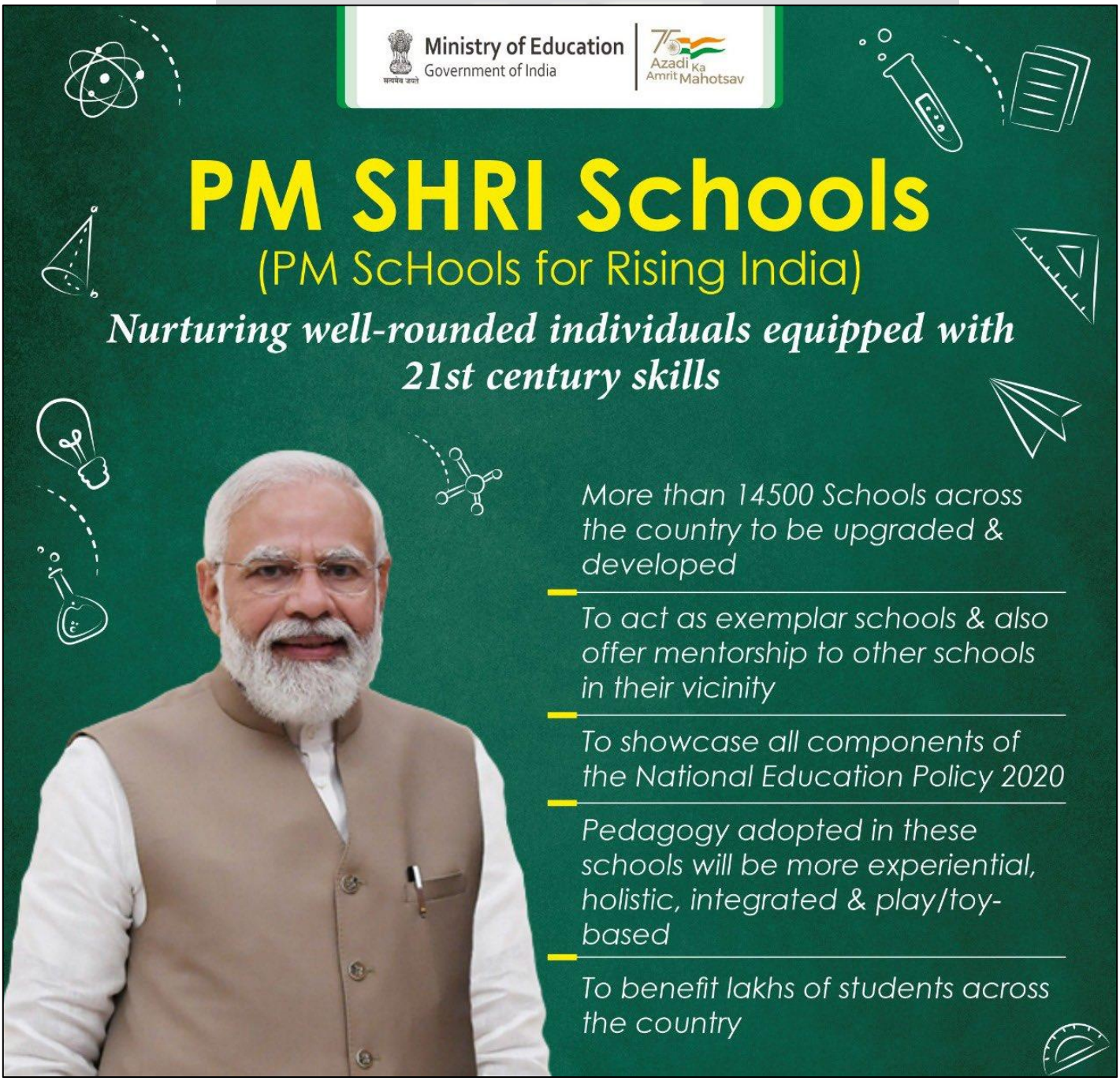

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

मुख्य बिन्दु:

- **प्रथम चरण :** राज्य के 402 विद्यालयों का चयन किया गया।
- **द्वितीय चरण :** राज्य के 33 जिलों से 237 विद्यालयों का चयन किया गया।
- इस योजना के तहत् राज्य में चयनित कुल 639 विद्यालयों में 16 प्राथमिक, 123 उच्च प्राथमिक, 18 माध्यमिक और 482 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है।
- **संबंधित विभाग :** राष्ट्रीय स्तर पर 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग' तथा राज्य में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग।

प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री)

- **मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन :** 7 सितंबर, 2022
- **प्रकार :** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य :** 14,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना।
- चयनित विद्यालयों में समग्र शिक्षा, 21वीं सदी के अनुकूल कौशल विकास तथा पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

समुद्री जल से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित : IIT जोधपुर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन एंड स्टोरेज (E2CS) प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं ने सतत् प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख क्षेत्रों- समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पादन तथा एक्वस जिंक-आयन बैटरियों की नई तकनीक विकसित की।

मुख्य बिन्दु:

- IIT जोधपुर द्वारा विकसित ये तकनीकें केंद्र सरकार के 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन', सतत् विकास लक्ष्य-7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और 13 (क्लाइमेट एक्शन) को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी।
- **समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पादन :** समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पादन (Direct Seawater Electrolysis) एक तकनीक है, जो बिना किसी मीठे पानी के उपयोग के स्वच्छ हाइड्रोजन प्रदान करती है।
- IIT जोधपुर द्वारा उन्नत इलेक्ट्रोकैटलिस्ट विकसित किया जा रहा है, जो सीधे समुद्री जल का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन संभव बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल शुद्धिकरण की आवश्यकता समाप्त होती है, साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट उपचार से जुड़ी चुनौतियाँ भी कम होती हैं।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **एक्वस जिंक-आयन बैटरी :** एक्वस जिंक-आयन बैटरी (AZIBs) बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए एक सुरक्षित, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। यह तकनीक पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी का सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है।
- AZIBs ज्वलनशील जैविक इलेक्ट्रोलाइट्स के बजाय गैर-ज्वलनशील जलीय इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती हैं, जिससे आग लगने या विस्फोट होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- इन बैटरियों के निर्माण के लिए जिंक प्राथमिक कच्चा माल है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सस्ता है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

कुरजां महोत्सव – 2025

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फलौदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जिले की संस्कृति और कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 26 और 27 दिसंबर, 2025 को 'कुरजां महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा।

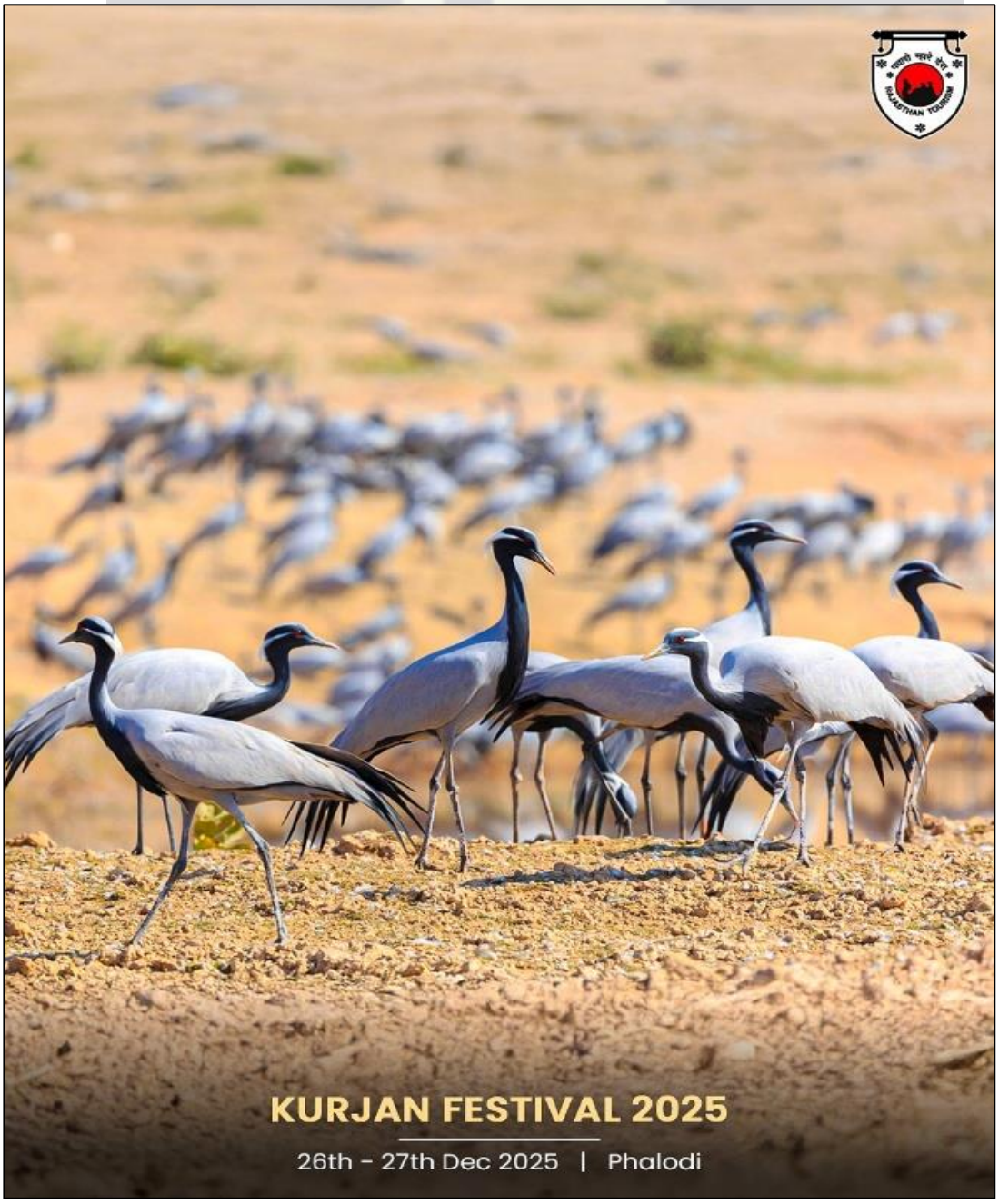

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजन स्थल :** खीचन (फलौदी)।
- **संस्करण :** दूसरा।
- कुरजां महोत्सव के प्रथम संस्करण का आयोजन 17 मार्च, 2025 को खीचन (रामसर स्थल में शामिल) में ही हुआ था।

डेमोइसेल क्रेन (कुरजां):

- डेमोइसेल क्रेन जिसे स्थानीय भाषा में कुरजां पक्षी के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया, मध्य एशिया और मंगोलिया की स्थानिक पक्षी प्रजाति है।
- कुरजां पक्षी हर साल साइबेरिया से सर्दियों के प्रवास के लिए फलौदी के खीचन गाँव में आते हैं।
- डेमोइसेल क्रेन दुनिया के 47 देशों में पाए जाते हैं, यद्यपि यह पक्षी लुप्तप्राय नहीं हैं लेकिन निवास स्थान के नुकसान से खतरों का सामना कर रहा है।
- राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रति जन साधारण में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले वन्यजीवों को जिलेवार शुभंकर (Mascot) घोषित किया जाता है। इसी क्रम में राज्य वन विभाग द्वारा कुरजां पक्षी को जोधपुर जिले का शुभंकर घोषित किया गया है।
- **मुख्य भोजन :** ज्वार, नमक, चूना पत्थर और खारा पानी।
- **वैज्ञानिक नाम :** एंथ्रोपोइड्स विर्गो (Anthropoides virgo)
- **IUCN स्थिति :** कम चिंताजनक (Least Concern)

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को 'ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार'** ■ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर, 2025) के अवसर पर 'इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ECB)' को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया। ■ कार्यक्रम का आयोजन विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया।
2.	**राजस्थान विश्वविद्यालय को 'प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड 2025'** ■ हाल ही में, वेटरन्स इंडिया की तरफ से देश के 13 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को 'प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड 2025' से सम्मानित किया गया। ■ इस अवॉर्ड सेरेमनी में राजस्थान विश्वविद्यालय को युवा सशक्तीकरण और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'प्राइड ऑफ नेशन अवॉर्ड 2025' से सम्मानित किया गया।
3.	**नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान तीसरे स्थान पर** ■ **आयोजन :** गोचीबोवली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम, हैदराबाद। ■ **राजस्थान का प्रदर्शन :** तीसरा स्थान। 97 पदक (36 स्वर्ण, 38 रजत, 23 कांस्य)। ■ **आयोजक :** पैरालंपिक कमेटी ऑफ़ इंडिया।
4.	**राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान** ■ **आयोजन :** 11 से 25 दिसंबर, 2025 तक पूरे राजस्थान में। ■ **शुभारंभ :** जयपुर के अमर जवान ज्योति से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
5.	**मनीष कुमार बढ़गोती** ■ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित 'एशियन यूथ पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप' में राजस्थान के मनीष कुमार बढ़गोती ने 1500 मीटर स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

6.	**राष्ट्रीय जैवचिकित्सा शोध प्रतियोगिता (NBRCOM 2025)** ■ **आयोजन :** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,जोधपुर में 5 से 7 दिसम्बर 2025 तक। ■ **आयोजक :** सोसाइटी ऑफ यंग बायोमेडिकल साइंटिस्ट्स (SYBS) इंडिया और AIIMS जोधपुर। ■ यह सम्मेलन जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और औषधि विज्ञान के शोध, नवाचार और युवा प्रतिभाओं के लिए एक प्रमुख मंच है।
7.	**निपुण मेला – 2025** 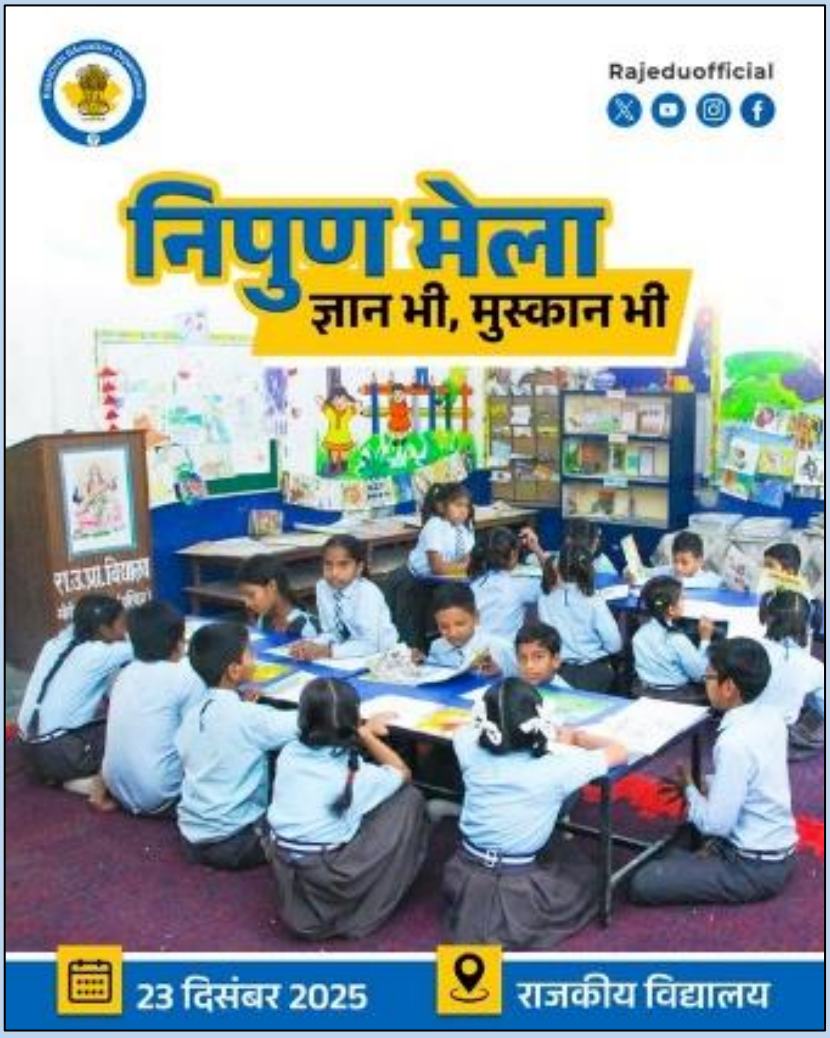 ■ **आयोजक :** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ■ **आयोजन :** 23 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत् राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

एस्पायर (ASPIRE) योजना

चर्चा में क्यों?

- देश भर में 'नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु योजना' (ASPIRE) के तहत 100 से अधिक आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स को मंजूरी दी गई।

मुख्य बिन्दु:

एस्पायर (ASPIRE) योजना

- **आरंभ:** वर्ष 2015 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा।
- **उद्देश्य:** नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (LBIs) का एक नेटवर्क स्थापित करना।
- यह योजना कृषि-ग्रामीण क्षेत्रक आदि में बेरोजगारों और स्वरोजगार / श्रमजीवियों को नई तकनीकों में कौशल व पुन: कौशल प्रदान करेगी।

प्रमुख लाभ:

- संयंत्र व मशीनरी के लिए सरकारी एजेंसियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये और निजी एजेंसियों को 75 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकारी और निजी एजेंसियों को श्रमबल लागत, इन्क्यूबेशन संचालन आदि के लिए परिचालन व्यय सहायता के रूप में अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की राशि दी जा सकती है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

आर्थिक परिदृश्य

व्यापार घाटा

चर्चा में क्यों?

- भारत का व्यापार घाटा नवंबर 2025 में 61% से अधिक घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया, जिसका कारण माल निर्यात में मजबूत वृद्धि और माल आयात में गिरावट थी।

मुख्य बिन्दु:

व्यापार घाटा

- **परिभाषा:** व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश के आयात का मूल्य एक निश्चित अवधि के दौरान उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है, जिससे व्यापार संतुलन (BoT) नकारात्मक हो जाता है।
- व्यापार संतुलन (BoT) = कुल निर्यात - कुल आयात

व्यापार घाटे के प्रकार:

- **माल व्यापार घाटा:** भौतिक वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर।
- **सेवा व्यापार घाटा/अधिशेष:** सेवाओं के निर्यात (आईटी, पर्यटन, वित्त) और सेवाओं के आयात के बीच का अंतर। भारत आमतौर पर सेवाओं के व्यापार में अधिशेष रखता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार घाटा:** किसी विशिष्ट देश के साथ व्यापार घाटा (उदाहरण के लिए, भारत-चीन व्यापार घाटा)

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों?

- लोक सभा ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025' पारित किया।

मुख्य बिन्दु:

- यह विधेयक बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) अधिनियम 1999 में संशोधन करता है।
- **उद्देश्य:** बीमा क्षेत्रक की संवृद्धि एवं विकास को गति देना और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषता

- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** विधेयक में भारतीय बीमा कंपनियों में FDI की सीमा को चुकता इक्विटी पूंजी के 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है।
- चुकता पूंजी से तात्पर्य उस इक्विटी पूंजी से है, जिसका शेयरधारकों द्वारा स्वामित्व हितों के बदले पूरी तरह से भुगतान किया जा चुका होता है।
- **पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष:** इस कोष का उपयोग पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए किया जाएगा।
- इस कोष का प्रशासन IRDAI द्वारा किया जाएगा।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए निवल-स्वाधिकृत निधि की आवश्यकता में कटौती:** विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए 'निवल-स्वाधिकृत निधि' की आवश्यकता को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक पुनर्बीमा कंपनियां बाजार में प्रवेश कर सकेंगी।
- **निवल-स्वाधिकृत निधि:** यह किसी कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसमें कंपनी की चुकता पूंजी आदि शामिल होते हैं।
- IRDAI के पास अब गलत तरीके से प्राप्त लाभों की वसूली के लिए SEBI के समान प्रवर्तन शक्तियां होंगी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता दी जाएगी। इसमें सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना भी शामिल है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

विकसित भारत- जी राम जी विधेयक

चर्चा में क्यों?

- विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) या VB–G RAM G विधेयक, 2025 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा।

मुख्य बिन्दु:

- राज्य सरकारें इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के 6 महीने के भीतर इसके अनुरूप एक योजना अधिसूचित करेंगी।

विधेयक की मुख्य विशेषता

- **रोजगार की गारंटी:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है।
- राज्य सरकारें अब फसल बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को अधिकतम 60 दिनों की अवधि हेतु निलंबित कर सकती हैं।
- **स्थायी संपत्ति निर्माण:** प्राथमिकता वाले चार विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। ये हैं- जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना, और चरम मौसम की घटनाओं के लिए विशेष कार्य।

नियोजन संरचना:

- ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- पंचायतों को उनके विकास स्तर के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी।
- क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए निम्न प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अधिक आवंटन दिया जाएगा।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

संस्थागत निरीक्षण:

- **केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें:** ये योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा व निगरानी करेंगी तथा परामर्श प्रदान करेंगी।
- **राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियाँ:** ये वित्तीय आवंटन, मंत्रालयों के बीच समन्वय तथा रणनीतिक निरीक्षण पर सिफारिशें प्रदान करेंगी।
- **पारदर्शिता और निगरानी:** डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा (जैसे- बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण, AI-सक्षम एनालिटिक्स आदि), ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा और ब्लॉक व जिला स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था की जाएगी।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों?

- SHANTI विधेयक, 2025 कानून बनने के बाद परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 को प्रतिस्थापित करेगा।

मुख्य बिन्दु:

SHANTI विधेयक के प्रावधान

- **परमाणु क्षेत्र को गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए खोलना:** इसमें भारतीय निजी कंपनियों की भागीदारी तथा सरकार और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में भागीदारी, आदि की स्वीकृति दी गई है।
- **परमाणु रिएक्टर की दुर्घटना के लिए दायित्व:** अलग-अलग स्तर आधारित दायित्व संरचना की व्यवस्था की गई है। रिएक्टर की क्षमता के आधार पर दायित्व सीमा 100 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपये तक होगी।
- सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के तहत 10 मेगावाट या इससे अधिक क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स के लिए 1,500 करोड़ रुपये की एक-समान दायित्व सीमा की व्यवस्था है। नया कानून इस प्रावधान की जगह लेगा।
- क्षतिपूर्ति राशि रिएक्टर के ऑपरेटर की दायित्व-सीमा से अधिक होने पर शेष दायित्व केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए परमाणु दायित्व निधि की स्थापना की जा सकती है।
- 'नो-फॉल्ट दायित्व' की पहले की व्यवस्था जारी रहेगी। इसका अर्थ है कि दुर्घटना या क्षति के लिए लापरवाही सिद्ध हुए बिना भी ऑपरेटर ही जिम्मेदार होगा।
- ऑपरेटर द्वारा दायित्व राशि के बराबर का बीमा कराने की अनिवार्यता से जुड़ा प्रावधान जारी रखा गया है।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **ऑपरेटर का 'राइट टू रिकोर्स":** सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के तहत दोषपूर्ण उपकरण, अनुबंध से जुड़े प्रावधानों या जानबूझकर किए गए कृत्यों के लिए ऑपरेटर को 'राइट टू रिकोर्स" प्रदान किया गया था। इस विधेयक में यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है।
- राइट टू रिकोर्स के तहत किसी आपूर्तिकर्ता की वजह से परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना होने पर ऑपरेटर को उस आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार दिया गया था।
- **क्षतिपूर्ति से जुड़े अधिकार-क्षेत्र का विस्तार:** नया विधेयक के अनुसार, भारत में हुई किसी परमाणु दुर्घटना से यदि किसी अन्य देश के क्षेत्र में भी परमाणु क्षति होती है, तो कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन वहाँ हुए नुकसान के लिए भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- 2010 के अधिनियम के तहत, क्षतिपूर्ति का दावा केवल भारत की सीमा या उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हुए नुकसान के लिए किया जा सकता था।
- **परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (AERB):** अब इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। इससे यह संस्था विकिरण और परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित कर सकेगी।
- **परमाणु ऊर्जा प्रतितोष सलाहकार परिषद:** केंद्र सरकार या AERB के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी।
- इस परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

गोल्डर समिति

चर्चा में क्यों?

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यय पद्धति का उपयोग करके जीडीपी संकलन में पद्धतिगत परिवर्तनों पर दूसरा चर्चा-पत्र जारी किया। ये बदलाव प्रो. बी.एन. गोल्डर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

मुख्य बिन्दु:

गोल्डर समिति की सिफारिशें

- **आधार वर्ष में संशोधन:** राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करना चाहिए।
- **डेटा एकीकरण:** संरचनात्मक बदलावों, डिजिटलीकरण और अनौपचारिक क्षेत्रक के योगदान को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपडेटेड डेटासेट्स (जैसे- जीएसटी के उपरांत व्यवस्था, डिजिटलीकरण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), आदि) को शामिल करना चाहिए।

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR